भगवान दास

बनाम

दिल्ली राज्य [एन.सी.टी]

[दाण्डिक अपील नम्बर 1117 सन् 2011]

09 मई 2011

[न्यायाधिपति मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा]

दण्ड संहिता, 1860 धारा 302-पुत्री की ऑनर किलिंग लड़की के अपने पिता के चचेरे भाई के साथ अनैतिक संबंध थे- अपीलार्थी पिता अपनी पुत्री के इस तरह के आचरण से नाराज था-पुत्री अपीलार्थी पिता के घर में, जहां वह रूकने आयी थी, मृत पाई गई -मृत्यु गला घोंटने से हुई थी-परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया- अपील में अभिनिर्धारित किया गया- सभी परिस्थितियों ने अपीलार्थी के दोषी होने की ओर ईशारा किया-अभियोजन पक्ष अपना मामला परिस्थितियों की श्रृंखला में सभी कड़ियों को स्थापित करके युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम था- अपीलार्थी के पास पुत्री की मृत्यु कारित करने का हेतुक एवं अवसर था क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी पुत्री ने परिवार का अपमान किया है इसलिए वह उससे दुखी था- अपीलार्थी की पुत्री की अप्राकृतिक मृत्यु के बारे में पुलिस को सूचित नहीं किया गया था- अपीलार्थी की माता के कथन कि

अपीलार्थी ने उसके सामने कबूल किया कि उसने अपनी पुत्री की हत्या की लेकिन न्यायालय के समक्ष उक्त कथनों से इन्कार किया. अपीलार्थी की माता द्वारा पुलिस को दिया गया बयान धारा 162(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के परन्तुक को ध्यान में रखते हुए विचार में लिया जा सकता है और अदालत में उसका बाद में इन्कार करना विश्वसनीय नहीं है क्योंकि जाहिर है कि उसने बाद में कुछ सोचा था और अपने पुत्र [अभियुक्त] को सजा से बचाना चाहती थी- और अपीलार्थी का एस.डी.एम. को कथन था जिससे अपराध हथियार की बरामदगी हुई- दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

साक्ष्य- परिस्थितिजन्य साक्ष्य-अभिनिर्धारितः एक व्यक्ति को परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोषी बरकरार ठहराया जा सकता है यदि परिस्थितयों की श्रृंखला में कड़ियां अभियुक्त को अपराध से युक्तियुक्त संदेह से परे जोड़ती हो- दण्ड संहिता, 1860 -धारा 302-

ऑनर किलिंग .. ऑनर किलिंग के लिए सजा/दण्ड. अभिनिर्धारित. ऑनर किलिंग मृत्यु दण्ड के योग्य दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती है- ऐसी बर्बर सामंती प्रथाएं हमारे राष्ट्र पर कलंक हैं और इन्हें खत्म किया जाना चाहिए. ऐसे अपमानजनक व असभ्य व्यवहार के लिए यह एक निवारक के रूप में आवश्यक है- निर्णय की प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल एंड रजिस्ट्रारों और देश के सभी राज्यों एंड केन्द्र शासित

प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों एंड गृह सचिवों एंड पुलिस महानिदेशकों को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता अपनी पुत्री से बहुत नाराज था जिसने अपने पति को छोड़ दिया था और अपीलकर्ता के चचेरे भाई के साथ अनैतिक रिश्ते में रहना शुरू कर दिया था। इससे अपीलकर्ता क्रोधित हो गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी पुत्री के इस आचरण से उसके परिवार का अपमान हुआ था। उसने बिजली के तार से गला घोंटकर उसकी मृत्यु कारित कर दी। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की। दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की गई थी।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1. यह विधि का सुस्थापित सिद्घान्त है कि किसी व्यक्ति को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता हैए यदि परिस्थितियों की श्रृंखला में कड़ियाँ अभियुक्त को युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध से जोड़ती हों। इस मामले में अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला में सभी कड़ियों को स्थापित करके अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में हेतुक बहुत महत्वपूर्ण होता हैए इसके विपरीत प्रत्यक्ष साक्ष्य के

मामलों के हेतुक इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता का अपनी पुत्री की हत्या करने का हेतुक यह था कि वह उसके चचेरे भाई के साथ व्यभिचार में रह रही थी। इससे अपीलकर्ता को अपमानित महसूस हुआ और उसने पारिवारिक सम्मान का बदला लेने के लिए अपनी ही पुत्री की मृत्यु कारित कर दी। इस प्रकार उन परिस्थितियों में से एक जो अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ती है, अपराध का हेतुक था। हमारे देश में दुर्भाग्य से ऑनर किलिंग आम बात हो गई है। कई लोगों को लगता है कि जो जवान युवकध्युवती उनके रिश्तेदार हैं या उनकी जाति के हैं उनके व्यवहार से उनका अपमान हुआ है क्योंकि वह उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर रहा है या किसी के साथ संबंध बना रहा हैए और इसलिए वे कानून को अपने हाथ में लेते हैं और ऐसे व्यक्ति को मार देते हैं या शारीरिक हमला करते हैं या उन पर कुछ अन्य अत्याचार करते हैं। अगर कोई अपनी पुत्री के व्यवहार से खुश नहीं है या अन्य व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार है या उसकी जाति का है वह अधिकतम इतना कर सकता है कि उसके साथ सामाजिक संबंध तोड़ दे लेकिन वह हिंसा करके या हिंसा की धमकी देकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। [पैरा 5,6,8] [338-डी-जी 339-बी-ई]

विजय कुमार अरोड़ा बनाम राज्य(एनसीटी दिल्ली **[2010] 2 एससीसी 353 2010[1] एससीआर 1069;** आफताब अहमद अंसारी बनाम उत्तरांचल राज्य **[2010] 2 एससीसी 583; 2010[1] एससीआर 1027;** वक्कर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **[2011] 3 एससीसी 306;** अरुमुगम सर्वई बनाम तमिलनाडु राज्य **[2011] एआईआर 1859;** लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य. **(2006) 5 एससीसी 475; 2006 (3) पूरक। एससीआर 350 -पर निर्भर।**

1.2. 16-5-2006 को सुबह 11:45 बजे किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु का संभावित समय पोस्टमार्टम से 32 घंटे पहले था। दो घंटे पहले या बाद का अंतर देते हुए यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि मृतका की मृत्यु 15-05-2006 को सुबह 02:00 बजे से 06:00 बजे के बीच हुई थी। हालाँकि अपीलकर्ता ने, जिसके घर में मृतका रह रही थी, काफी देर तक पुलिस या किसी अन्य को सूचना नहीं दी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने ही 15.5.2006 को दोपहर 02.00 बजे पुलिस को टेलीफोन पर सूचित किया कि अपीलकर्ता ने अपनी ही पुत्री की हत्या कर दी है। अपीलकर्ता द्वारा यह चूक लगभग 10 घंटे तक अपनी पुत्री की मौत के बारे में पुलिस को सूचित न करना, उसकी ओर से एक पूरी तरह से अप्राकृतिक आचरण था। अपीलकर्ता ने स्वीकार किया था कि मृतका

14.5.2006 व 15.5.2006 की रात को उसके घर में रुका था। अपीलकर्ता की माता अपराध करने के लिए बहुत बूढ़ी थी, और बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई सुझाव भी नहीं दिया गया कि उसके भाई ने यह अपराध किया होगा। इसलिए इस संभावना को खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ता के अलावा किसी और ने अपराध किया है। मृतका ने कुछ समय पहले अपने पति को छोड़ दिया था और कहा जाता है कि वह अपने चाचा (उसके पिता के चचेरे भाई) के साथ व्यभिचारी और अनैतिक रिश्ते में रह रही थी, और इसने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता को उसके प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण बना दिया था। दोपहर करीब दो बजे किसी अज्ञात व्यक्ति से फोन पर सूचना मिलने पर पुलिस अभियुक्त के घर पहुंची तो घर के पीछे वाले कमरे में फर्श पर मृतका का शव मिला। उस समय अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्य और कुछ पड़ोसी वहां थे। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि हालांकि मृतका की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी, लेकिन वह अपने पति को छोड़कर करीब एक माह से अपने पिता के घर में रह रही थी। इस प्रकार अपीलकर्ता के पास हत्या करने का हेतुक और अवसर दोनों थे। साक्ष्य में यह सामने आया कि जब पुलिस पहुंची तो अभियुक्त अपीलकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो शायद वे आगे बढ़ जाते और बिना

पोस्टमार्टम के ही मृतका का अंतिम संस्कार कर देते ताकि गला घोंटने के सबूत नष्ट हो जाएं। [पैरा 8] [339- ई-एच 340-ए-ई]

1.3. अपीलकर्ता की मां ने पुलिस के सामने कहा कि उसके पुत्र (अभियुक्त) ने उसे बताया था कि उसने मृतका की मृत्यु कारित कर दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 162(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के मद्देनजर पुलिस को दिया गया बयान आमतौर पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन जैसा कि धारा 162(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता परन्तुक में उल्लेख किया गया है, इसका उपयोग गवाह के अभिसाक्ष्य का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। अपीलकर्ता की माता भी विचारण न्यायालय के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित हुईं, और उसके प्रतिपरीक्षण में, पुलिस को दिए गए उसके बयान को उसके सामने रखा गया, जिसमें उसने कहा था कि उसके पुत्र (अभियुक्त) ने उसे बताया था कि उसने मृतका की मृत्यु कारित कर दी है। पुलिस के सामने उसके बयान के बारे में पूछे जाने पर उसने इस बात से इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कोई बयान दिया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162(1) के परन्तुक के मद्देनजर पुलिस को दिए गए अपीलकर्ता की माता के बयान पर विचार किया जा सकता है, और बाद में न्यायालय में उसका इन्कार विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से बाद में सोचा था और वह अपने पुत्र

(अभियुक्त) को सजा से बचाना चाहती थी। अपीलकर्ता का अपनी माता को किया गया कथन एक न्यायिकेतर संस्वीकृति थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था क्योंकि वह पुलिस को दिए गए अपने पहले बयान से मुकर गई थी। हालाँकि, यदि अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के पक्ष में साक्ष्य दी जाती है तो पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाएगा, लेकिन इसकी बारीकी से जांच की जा सकती है और साक्ष्य का वह हिस्सा जो अभियोजन या अभियुक्त के मामले के अनुरूप है, स्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार अनाज को भूसे से अलग करना न्यायालय का कर्तव्य है, और मैक्सिम "फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ऑम्निबस" भारत में लागू नहीं होता है। मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता की माता ने पुलिस को दिए अपने पहले के बयान से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने पुत्र (अभियुक्त) को सजा बचाना चाहती थी। इसलिए पुलिस को दिया गया उसका बयान स्वीकार किया जाता है और न्यायालय में दिया गया उसका बयान खारिज किया जाता है। अभियुक्त पक्ष ने यह नहीं दर्शाया कि पुलिस की अपीलकर्ता के साथ कोई दुश्मनी थी, या उसे झूठा फंसाने का कोई अन्य कारण था। यह हत्या का स्पष्ट मामला है और सारी परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध के अपराधी होने की ओर इशारा करती हैं। [पैरा 8 ए] [340-एफ-एच; 341- ए-एच; 342- ए-एच; 343-ए-सी]

कुलविंदर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य **2011 एआईआर 1777** राजस्थान राज्य बनाम राजा राम **(2003) 8 एससीसी 180;** बी.ए. उमेश बनाम रजिस्ट्रार जनरल, कर्नाटक उच्च न्यायालय **(2011) 3 एससीसी 85; 2011 (2) एससीआर 367;** शेख जाकिर बनाम बिहार राज्य **एआईआर 1983 एससी 911; 1983 (2) एससीआर 312;** हिमांशु उर्फ चिंटू बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) **(2011) 2 एससीसी 36; 2011 (1) एससीआर 48;** निसार अल्ली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **एआईआर 1957 एससी 366; 1957 एससीआर 657 -पर भरोसा किया गया।**

1.4. मृत्यु का कारण पी.डब्ल्यू-01 ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में "मृत्यु पूर्व लिगचर द्वारा गला घोंटने के परिणामस्वरूप दम घुटना बताया।" ऐसे में यह स्पष्ट था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। शव लटका हुआ नहीं बल्कि जमीन पर पड़ा हुआ मिला। [पैरा 8] [343-डी-एफ]

1.5. अपीलकर्ता ने घटना के तुरंत बाद एसडीएम-पीडब्लू 8 को एक बयान दिया और उस पर हस्ताक्षर किए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में दावा किया था कि एसडीएम द्वारा कुछ भी नहीं पूछा गया था, लेकिन उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि बयान पर उनके हस्ताक्षर कैसे आए, न ही उसने

यह कहा कि उसे अपने बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था और न ही एसडीएम की प्रतिपरीक्षा में बयान को चुनौती दी गई थी। एसडीएम विचारण न्यायालय के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने अपने साक्ष्य में बयान को साबित किया। अवसर दिए जाने के बावजूद अपीलकर्ता द्वारा कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई। एसडीएम पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि उसकी अभियुक्त से कोई दुश्मनी थी या न्यायालय में गलत बयान देने का कोई अन्य कारण था। अपीलकर्ता ने पीडब्लू 11 इंस्पेक्टर की उपस्थिति में एसडीएम को एक बयान(प्रदर्श पीडब्लू 7/ए) दिया था जिससे उस बिजली के तार की बरामदगी हुई जिसके द्वारा अपराध किया गया था। यह बरामदगी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत साक्ष्य के रूप में ग्राह्य था। अपनी साक्ष्य में पुलिस निरीक्षक ने कहा कि अपीलकर्ता की निशानदेही पर वह बिजली का तार, जिससे अभियुक्त पर उसकी पुत्री का गला घोंटने का आरोप लगाया गया था, एक कमरे में बिस्तर के नीचे से बरामद किया गया था। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए बहुत ठोस कारण दिए, और उनके निर्णय से असहमत होने का कोई कारण नहीं था। यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे कि अपीलकर्ता ने अपराध किया था ए क्योंकि उसे लगा कि उसकी पुत्री ने उसका अपमान

किया है। [पैरा 12 और 13],[343-ई-जी 344-सी-एफ; 345-जी-एच; 346-ए]

आफताब अहमद अंसारी बनाम राज्य **(2010) 2 एससीसी 583:2010 (1) एससीआर 1027;** मनु शर्मा बनाम राज्य **(2010) 6 एससीसी 1; 2010 (4) एससीआर 103;** राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम और अन्य। **एआईआर 1999 एससी 1776:1999 (2) एससीआर 29;** त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2006)1 एससीसी 681 -पर भरोसा किया गया।**

2. देश के कई हिस्सों, विशेषकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 'ऑनर किलिंग' आम हो गई हैं। अक्सर प्यार में पड़ने वाले युवा जोड़ों को गैर कानूनी अदालतों के प्रकोप से बचाने के लिए पुलिस लाइन या संरक्षण गृह में शरण लेनी पड़ती है। ऑनर किलिंग, किसी भी कारण से, मृत्यु दण्ड के योग्य दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती है। अब समय आ गया है कि इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को समाप्त किया जाए जो हमारे राष्ट्र के लिए कलंक हैं। इस तरह के अपमानजनक, असभ्य व्यवहार के लिए यह एक निवारक के रूप में यह आवश्यक है। वे सभी व्यक्ति जो ऑनर किलिंग का पाप करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि फांसी उनका इंतजार कर रही है। निर्णय की प्रति देश के सभी

उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों/रजिस्ट्रारों और सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों/गृह सचिवों/पुलिस महानिदेशकों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 13,14] [346-सी-एच]

केस ला रेफरेन्स:

2010(1) एससीआर 1069 भरोसा किया गया पैरा 5

2010(1) एससीआर 1027 भरोसा किया गया पैरा 5

2011(3) एससीसी 306 भरोसा किया गया पैरा 6

2011 एआइआर 1859 भरोसा किया गया पैरा 8(i)

2006(3) अनुपूरक एससीआर 350 भरोसा किया गया पैरा 8(i)

2011 एआइआर 1777 भरोसा किया गया पैरा 8(v)

2003(2) अनुपूरक . एससीआर 445 भरोसा किया गया पैरा 8(v)

2011(2) एससीआर 367 भरोसा किया गया पैरा 8(v)

1983(2) एससीआर 312 भरोसा किया गया पैरा 8(v)

2011(1) एससीआर 48 भरोसा किया गया पैरा 8(v)

1957 एससीआर 657 भरोसा किया गया पैरा 8(v)

2010(1) एससीआर 1027 भरोसा किया गया पैरा 8(viii)

2010(4) एससीआर 103 भरोसा किया गया पैरा 8(viii)

1999(2) एससीआर 29 भरोसा किया गया पैरा 8(viii)

(2006)1 एससीसी 681 भरोसा किया गया पैरा 8(viii)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार; आपराधिक अपील संख्या 1117 वर्ष 2011

देहली उच्च न्यायालय, न्यू देहली के आपराधिक अपील संख्या 55/2010 के निर्णय व आदेश दिनांक 02-06-2010 से

गौरव अग्रवाल -अपीलकर्ता की ओर से

जे.एस.अत्तरी, सौरभ अजय गुप्ता (अनिल काटियार) -प्रत्यर्थी की ओर से

इस न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति मार्कण्डेय काटजू द्वारा पारित किया गया।

"है मौजां एक कुलजुम-ए-खून काश यही हो आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे-- मिर्जा गालिब

1. यह भीषण ऑनर किलिंग का एक और मामला है, इस बार अभियुक्त -अपीलकर्ता ने अपनी ही पुत्री की हत्या की है।

2. अनुमति दी गई।

3. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

4. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता अपनी पुत्री से बहुत नाराज था, जिसने अपने पति राजू को छोड़ दिया था और अपने चाचा श्रीनिवास के साथ अनैतिक रिश्ते में रह रही थी। इससे अपीलकर्ता क्रोधित हो गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी पुत्री सीमा के इस आचरण से उसके परिवार का अपमान हुआ है, और इसलिए उसने बिजली के तार से उसका गला घोंट दिया। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और इस फैसले को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। इसलिए यह अपील दायर की गयी

5. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, लेकिन यह सुस्थापित विधि है कि किसी व्यक्ति को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, यदि परिस्थितियों की श्रृंखला में कड़ियां अभियुक्त

को अपराध से युक्तियुक्त संदेह से परे जोड़ती हो। विजय कुमार अरोड़ा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2010) 2 एससीसी 353 (पैरा 16.5), आफताब अहमद अंसारी बनाम उत्तरांचल राज्य , (2010) 2 एससीसी 583 (पैराग्राफ 13 और 14) आदि। इस मामले में, हम संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला में सभी कड़ियों को स्थापित करके अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है।

6. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में हेतुक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विपरीत प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामलों में जहां हेतुक इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। वक्कर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 3 एससीसी 306 (पैरा 14), के अनुसार वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता का अपनी पुत्री की हत्या करने का हेतुक यह था कि वह श्रीनिवास नामक व्यक्ति के साथ व्यभिचार में रह रही थी, जो अपीलकर्ता की मौसी का बेटा था। इससे अपीलकर्ता को अपमानित महसूस हुआ और उसने पारिवारिक सम्मान का बदला लेने के लिए अपनी ही पुत्री की हत्या कर दी।

7. हमने विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान से पढ़ा है और हमारी राय है कि उक्त निर्णय सही हैं।

8. वे परिस्थितियाँ जो अभियुक्त को अपराध से जोड़ती हैं, इस प्रकार हैं-

(i) अपराध का हेतुक जिसका उल्लेख पहले ही ऊपर बताया जा चुका है। हमारे देश में दुर्भाग्यवश "ऑनर किलिंग" आम बात हो गयी है, जैसा कि अरुमुगम सर्वई बनाम तमिलनाडु राज्य आपराधिक अपील संख्या 958/2011 (2009 की एसपीएल (सीआरएल) No.8084) निर्णय दिनांक 19-04-2011, को सुनाये गये हमारे निर्णय में उल्लेखित किया गया है।

बहुत से लोगों को लगता है कि वे उनके रिश्तेदार या उनकी जाति से संबंधित जवान युवक/युवती, जो उनकी इच्छा के विरूद्घ शादी कर रहे हैं या किसी के साथ संबंध बना रहे हैं, के व्यवहार से अपमानित हो रहे हैं, और इसलिए वे कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं, या उस पर शारीरिक हमला करते हैं या उस पर अन्य अत्याचार करते हैं। हमने लता सिंह बनाम उतर प्रदेश सरकार और अन्य [2006] 5,एसीसी 475 में इसे पूर्ण रूप से अवैध अभिनिर्धारित किया है। यदि कोई अपनी पुत्री या अन्य व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार या उसकी जाति का है, के व्यवहार से खुश नहीं है तो वह अधिकतम इतना कर सकते हैं कि उसके साथ सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद कर ले लेकिन वे हिंसा करके या हिंसा की धमकी देकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते।

(ii) 16.5.2006 को सुबह 11.45 बजे किये गये पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार सीमा की मृत्यु का संभावित समय पोस्टमॉर्टम से 32 घंटे पहले था। दो घंटे, पहले या बाद का अंतर देते हुए, यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि सीमा की मृत्यु 15.5.2006 को सुबह 2.00 बजे से 6.00 बजे के बीच हुई थी। हालाँकि, अपीलकर्ता ने जिसके घर में सीमा रह रही थी, लंबे समय तक पुलिस या किसी अन्य को सूचना नहीं दी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने ही 15.5.2006 को दोपहर 2:00 बजे पुलिस को टेलीफोन पर सूचित किया कि अपीलकर्ता ने अपनी ही पुत्री की हत्या कर दी है। अपीलकर्ता द्वारा यह चूक लगभग 10 घंटे तक अपनी पुत्री की मौत के बारे में पुलिस को सूचित न करना उसकी ओर से पूरी तरह से अस्वाभाविक आचरण था।

(iii) अपीलकर्ता ने स्वीकार किया था कि मृतका सीमा 14-5-2006 व 15-5-2006 की रात को उसके घर में रुकी थी। अपीलकर्ता की माता अपराध कारित करने के लिए बहुत बूढ़ी थी, और बचाव पक्ष की ओर से कोई सुझाव भी नहीं दिया गया कि उसके भाई ने यह अपराध किया होगा। इसलिए हम इस संभावना को सुरक्षित रूप से खारिज कर सकते हैं कि अपीलकर्ता के अलावा किसी और ने अपराध किया है।

सीमा ने कुछ समय पहले अपने पति को छोड़ दिया था और कहा जाता है कि वह अपने चाचा (अपने पिता के चचेरे भाई) के साथ व्यभिचारी और अनैतिक रिश्ते में रह रही थी, और इसने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता को उसके प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण बना दिया था।

दोपहर करीब दो बजे किसी अज्ञात व्यक्ति से फोन पर सूचना मिलने पर पुलिस अभियुक्त के घर पहुंची तो घर के पीछे वाले कमरे में फर्श पर सीमा का शव मिला। उस समय अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्य और कुछ पड़ोसी वहां थे। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि हालांकि सीमा की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी, लेकिन वह अपने पति को छोड़कर करीब एक महीने से अपने पिता के घर में रह रही थी. इस प्रकार अपीलकर्ता के पास हत्या करने का हेतुक और अवसर दोनों थे।

(iv) यह साक्ष्य में आया है कि जब पुलिस पहुंची तो अभियुक्त अपीलकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो शायद वे आगे बढ़ जाते और बिना पोस्टमार्टम के ही सीमा का अंतिम संस्कार कर देते ताकि गला घोंटने के सबूत नष्ट हो जाएं।

(v) अभियुक्त की माता, श्रीमती ढिल्लो देवी ने पुलिस के सामने कहा कि उसके पुत्र (अभियुक्त) ने उसे बताया था कि उसने सीमा की मृत्यु

कारित कर दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 162(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के मद्देनजर पुलिस को दिया गया बयान आम तौर पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन जैसा कि धारा 162(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के परन्तुक में उल्लेख किया गया है कि इसका उपयोग किसी गवाह के अभिसाक्ष्य का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। श्रीमती ढिल्लो देवी भी विचारण न्यायालय के सामने एक गवाह के रूप में पेश हुईं, और उसके प्रतिपरीक्षण में, पुलिस को दिए गए उसके ने बयान को उसके सामने रखा गया, जिसमें उसने कहा था कि उनके पुत्र(अभियुक्त) ने उसे बताया था कि उसने सीमा की मृत्यु कारित कर दी है। पुलिस के सामने उसके बयान के बारे में पूछे जाने पर उसने इस बात से इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कोई बयान दिया है।

9. हमारी राय है कि श्रीमती ढिल्लो देवी द्वारा पुलिस को दिया गया बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162(1) के परन्तुक के अनुसार विचार में लिया जा सकता है, और बाद में न्यायालय में उसका इनकार विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से बाद में कुछ सोचा था और वह अपने पुत्र(अभियुक्त) को सजा से बचाना चाहती थी। दरअसल पुलिस को दिए अपने बयान में उसने कहा था कि सीमा के शव को बिस्तर से उतारकर फर्श पर रख दिया गया था। जब न्यायालय में उससे इस बयान

का सामना कराया गया तो उसने इस बात से इनकार कर दिया कि उसने पुलिस के सामने ऐसा कोई बयान दिया है। हमारी राय है कि पुलिस को दिए गए उसके बयान को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162(1) के परन्तुक के अनुसार ध्यान में रखा जा सकता है।

10. हमारी राय में अभियुक्त का अपनी माता श्रीमती ढिल्लो देवी को दिया गया बयान एक न्यायिकेतर संस्वीकृति है। एक हालिया मामले में इस न्यायालय ने कुलविंदर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य दाण्डिक अपील संख्या 916/2005 निर्णय दिनांक 11.4.2011 में राजस्थान राज्य बनाम राजा राम (2003) 8 एससीसी 180 के इस न्यायालय के पूर्व के निर्णय का हवाला दिया गया, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था (पैरा 10 के अनुसार):-

"न्यायिकेतर संस्वीकृति, यदि स्वैच्छिक और सत्य है और सही मानसिक स्थिति में दी गई है, तो न्यायालय उस पर भरोसा कर सकता है। संस्वीकृति को किसी भी अन्य तथ्य की तरह साबित करना होगा। संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य का मूल्य, अन्य साक्ष्य की तरह, उस गवाह की सत्यता पर निर्भर करता है जिसे यह दिया गया है। संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य का मूल्य उस गवाह की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है जो साक्ष्य देता है। यह कि न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमजोर प्रकार का

साक्ष्य है, इस उपधारणा से शुरू करना किसी भी न्यायालय के लिए उचित नहीं है।यह परिस्थितियों की प्रकृति पर, उस समय जब संस्वीकृति की गई थी और जिसे इस प्रकार की संस्वीकृति कही गयी है उस गवाह की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। उस संस्वीकृति पर ऐसे भरोसा किया जा सकता है और उस पर दोषसिद्धि की स्थापना की जा सकती है यदि संस्वीकृति के बारे में साक्ष्य उन गवाहों के मुंह से आता है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हैं जो अभियुक्त के लिए दूर-दूर तक भी शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, और जिनके संबंध में ऐसा कुछ भी सामने नहीं लाया गया है जो संकेत दे सकता है कि उसका मकसद आरोपी को असत्य बयान देना हो, गवाह द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट, अंसदिग्ध व त्रुटिरहित बताते हैं कि अभियुक्त अपराध का अपराधी है और गवाह द्वारा ऐसे कुछ भी लोप नहीं किया गया है जो उसके विरूद्घ हो। गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर कठोर परीक्षण के बाद, न्यायेतर संस्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है और यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है तो यह दोषसिद्धि का आधार हो सकता है।

उपरोक्त निर्णय में यह भी माना गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है।

11. इसी तरह, बीए उमेश बनाम रजिस्ट्रार जनरल, कर्नाटक उच्च न्यायालय, (2011) 3 एससीसी 85 में न्यायालय ने अभियुक्त की न्यायिकेतर संस्वीकृति पर भरोसा किया।

इसमें कोई संदेह नहीं श्रीमती ढिल्लो देवी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया क्योंकि वह पुलिस को दिए अपने पहले बयान से मुकर गई थी। हालाँकि, जैसा कि राज्य बनाम राम प्रसाद मिश्रा और अन्य में देखा गया;

"अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के पक्ष में बोलने पर पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाएगा, लेकिन इसकी बारीकी से जांच की जा सकती है और साक्ष्य का वह हिस्सा जो अभियोजन या बचाव पक्ष के मामले के अनुरूप है, स्वीकार किया जा सकता है।"

"इसी प्रकार शेख जाकिर बनाम बिहार राज्य एआईआर 1983 एससी 911 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:-

"यह बिल्कुल अजीब नहीं है कि कुछ गवाह मुकर जाते हैं, लेकिन यह अपने आप में किसी न्यायालय को किसी आरोपी को दोषी ठहराने से नहीं रोकेगा, अगर दोषसिद्धि के समर्थन में अन्यथा ग्राह्य साक्ष्य हों।"

हिमांशु उर्फ चिंटू बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2011) 2 एससीसी 36 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य के भरोसेमंद भाग पर भरोसा किया जा सकता है।

इस प्रकार अनाज को भूसे से अलग करना न्यायालय का कर्तव्य है, और निसार अल्ली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1957 एससी 366 के मामले में कहावत "फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ऑम्निबस" का भारत में लागू नहीं होती है। वर्तमान मामले में हमारी राय है कि श्रीमती ढिल्लो देवी ने पुलिस को दिए अपने पहले के बयान से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने पुत्र को बचाना चाहती थी इसलिए हम पुलिस को दिए गए उसके बयान को स्वीकार करते हैं और न्यायालय में दिए गए उसके बयान को खारिज करते हैं। बचाव पक्ष ने यह नहीं दिखाया कि पुलिस की आरोपी से कोई दुश्मनी थी या उसे झूठा फंसाने का कोई अन्य कारण था।

12. हमारी राय है कि यह हत्या का स्पष्ट मामला था और पूरी परिस्थितियाँ आरोपी के दोषी होने की ओर इशारा करती हैं।

(vi) मृत्यु का कारण डॉ. प्रवींद्र सिंह-पीडब्लू1 ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि "मृत्यु पूर्व लिगचर द्वारा गला घोंटने के परिणामस्वरूप दम घुटने के कारण हुई है", इससे साफ है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। शव लटका हुआ नहीं बल्कि जमीन पर पड़ा हुआ मिला।

(vii) आरोपी ने एसडीएम श्री एसएस परिहार पीडब्ल्यू-08 को घटना के तुरंत बाद एक बयान दिया और उस पर हस्ताक्षर किए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में दावा किया था कि एसडीएम द्वारा कुछ भी नहीं पूछा गया था, लेकिन उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि बयान पर उनके हस्ताक्षर कैसे आए, न ही उसने यह कहा कि उसे अपने बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था और न ही एसडीएम की प्रतिपरीक्षण में बयान को चुनौती दी गई थी। एसडीएम विचारण न्यायालय के समक्ष गवाह के रूप में पेश हुए और उन्होंने अपने साक्ष्य में बयान को साबित किया है। अवसर दिए जाने के बावजूद अभियुक्त द्वारा कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में आरोपी से पूछा गया-

प्रश्न संख्या-08 यह आपके खिलाफ साक्ष्य है कि मेमो प्रदर्श पीडब्ल्यू 11/सी के जरिए आपसे पूछताछ की गई और गिरफ्तार किया गया और मेमो प्रदर्श पीडब्ल्यू 11/डी के जरिए आपकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई और आपने खुलासा बयान मेमो प्रदर्श पीडब्ल्यू 07/ए दिया और उसके अनुसरण में आपने घटनास्थल बताया था और एक बिजली का तार मेमो

प्रदर्श 01 बरामद किया गया जिसे अनुसंधान अधिकारी द्वारा मेमो प्रदर्श पीडब्ल्यू 07/बी के माध्यम से सील करने के बाद जब्त कर लिया गया। आपका क्या कहना है?

उसने जो उत्तर दिया वह इस प्रकार था-

"उत्तर- मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में झूठा फंसाया गया था। मैंने कभी कोई प्रकटीकरण बयान नहीं दिया। मुझसे कोई तार बरामद नहीं हुआ और न ही मुझे कभी मेरे घर दोबारा ले जाया गया"

13. हमें एसडीएम पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसकी अभियुक्त के खिलाफ कोई दुश्मनी थी या न्यायालय में गलत बयान देने का कोई अन्य कारण था।

(viii) अभियुक्त ने पीडब्लू-11 इंस्पेक्टर नंद कुमार की उपस्थिति में एसडीएम को एक बयान (प्रदर्श पीडब्ल्यू 07/ए) दिया था, जिससे उस बिजली के तार की बरामदगी हुई जिसके द्वारा अपराध किया गया था। हमारी राय है कि यह बरामदगी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य थी। आफताब अहमद अंसारी बनाम राज्य, (2010) 2 एससीसी 583 (पैरा 40), मनु शर्मा बनाम राज्य, (2010) 6 एससीसी 1

[पैरा 234 से 238] के तहत। अपनी साक्ष्य में पुलिस इंस्पेक्टर नंद कुमार ने बताया कि अभियुक्त की निशानदेही पर वह बिजली का तार, जिससे अभियुक्त द्वारा अपनी पुत्री का गला घोंटने का आरोप है, एक कमरे में बिस्तर के नीचे से बरामद कर लिया गया।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। हालाँकि, जैसा कि इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम और अन्य एआईआर 1999 एससी 1776 में अभिनिर्धारित किया-

"पीड़ितों के साथ कोई संबंध न रखने वाले गवाहों पर अत्यधिक जोर देने से अक्सर आपराधिक न्याय गड़बड़ा जाता है। जब किसी आवासीय घर में कोई घटना घटती है, तो सबसे स्वाभाविक गवाह उस घर के निवासी होंगे। ऐसे प्राकृतिक गवाहों को नजरअंदाज करना और उन बाहरी लोगों पर जोर देना जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा होगा, अव्यवहारिक है। यदि न्यायालय ने साक्ष्यों से या यहां तक कि अनुसंधान रिकॉर्ड से भी यह पाया है कि किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति ने प्रश्नगत घटना से जुड़ी किसी घटना को देखा है, तो अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में ऐसे व्यक्ति की परीक्षा न करने के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां करने का औचित्य है अन्यथा, केवल अनुमानों पर न्यायालय को अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में

इलाके के अन्य व्यक्तियों की परीक्षा नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष को फटकार नहीं लगानी चाहिए। अभियोजन पक्ष से केवल उन लोगों की परीक्षा करने की उम्मीद की जा सकती है जिन्होंने घटनाओं को देखा, न कि उन लोगों ने जिन्होंने इसे नहीं देखा है, हालांकि पड़ोस अन्य निवासियों से भी भरा हो सकता है।"

इसी तरह, त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006)1 एससीसी 681 में इस न्यायालय ने पाया है -

"ऐसे अपराध आम तौर पर घर के अंदर पूरी गोपनीयता से किए जाते हैं और अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य पेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य, भले ही वह अपराध का गवाह हो, परिवार के अन्य सदस्य के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आएगा। पड़ौसी, जिनके साक्ष्य कुछ सहायक हो सकते हैं, आम तौर पर न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए अनिच्छुक होते हैं क्योंकि वे अलग रहना चाहते हैं और पड़ोस के परिवार को नाराज नहीं करना चाहते हैं। रूपयों व दहेज की मांग व दुल्हन को प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में साक्ष्य के अलावा दुल्हन के माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्य अपराध स्थल पर उपस्थित नहीं होने के कारण प्रत्यक्ष साक्ष्य देने की स्थिति में नहीं है, जिससे वास्तविक अभियुक्तों को दोषी ठहराया जा सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है

कि गोपनीयता में या घर के अन्दर किया गया अपराध सजा से बच जाना चाहिए।" (जोर दिया गया)

हमारी राय में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए बहुत ठोस कारण दिए हैं, और हमें उनके निर्णय से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता है। यह दिखाने के लिए पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं कि अभियुक्त ने अपराध किया क्योंकि उसे लगा कि उसकी पुत्री ने उसका अपमान किया है।

ऊपर दिए गए कारण से हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते और इसे खारिज किया जाता है।

इस मामले का निस्तारण करने से पहले हम यह बताना चाहेंगे कि देश के कई हिस्सों, खासकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तरप्रदेश और राजस्थान में 'ऑनर किलिंग' आम हो गई हैं। अक्सर प्यार में पड़ने वाले युवा जोड़ों को गैर कानूनी अदालतों के प्रकोप से बचाने के लिए पुलिस लाइन या संरक्षण गृह में शरण लेनी पड़ती है। हमने लता सिंह के मामले [उपरोक्त] में अभिनिर्धारित किया है कि 'ऑनर किलिंग' में कुछ भी 'सम्मानजनक' नहीं है, और वे सामंती दिमाग वाले कट्टरपंथी व्यक्तियों द्वारा की गई बर्बर और क्रूर हत्याओं के अलावा और कुछ नहीं हैं।

14. हमारी राय में ऑनर किलिंग, सभी कारणों से मृत्युदंड के योग्य दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती हैं। अब समय आ गया है कि इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को समाप्त किया जाए जो हमारे राष्ट्र के लिए कलंक हैं। इस तरह के अपमानजनक, असभ्य व्यवहार के लिए यह एक निवारक के रूप में यह आवश्यक है। वे सभी व्यक्ति जो ऑनर किलिंग का पाप करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि फांसी उनका इंतजार कर रही है।

इस निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों/रजिस्ट्रारों को भेजी जाए जो इसे न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को प्रसारित करेंगे। उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल भी निर्णय की प्रति राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी सत्र न्यायाधीशों/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को भी प्रसारित करेंगे। निर्णय की प्रतियां देश के सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/गृह सचिवों/पुलिस महानिदेशकों को भी भेजी जाएंगी। गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक इसे जानकारी के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी एस.एस.पी./एस.पी. को प्रसारित करेंगे।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता-द्वितीय (आरजेएस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकारणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।